

23/12/25

अधिवक्ताओं की आज्ञा...
होने से यह प्रकरण वास्ते सुनवाई,
दिनांक... 23/12/26... को पेश हों।

डी. 52

13/1/26

अधिवक्ताओं की आज्ञा...
होने से यह प्रकरण वास्ते सुनवाई,
दिनांक... 20/1/26... को पेश हों।

डी. 52

20.1.26

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित हुए। प्रार्थी को उपस्थित होने हेतु सब अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते उपस्थित दिनांक 28.1.26 को पेश है।

28.1.26

अधिवक्ताओं की आज्ञा...
होने से यह प्रकरण वास्ते सुनवाई,
दिनांक... 4.2.26... को पेश हों।

डी. 52

4.2.26

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित प्रकरण का मूलवाद अदालत में पेश होने के बाद प्रकरण में अब कोई धर्मवली शेष नहीं रहती है। अतः प्र. 113 के तहत अदालत में प्रकरण खत्म होना चाहिए। अतः प्रकरण खत्म होने पर प्रकरण फिलहाल प्रमाण लेना नहीं है।

डी. 52

(र. लाईट)